अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 भारत सरकार आदिवासी कार्य मंत्रालय अनुलग्नक - मैं [नियम 6 (एल) देखें] रूप - ए वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा फॉर्म [नियम 11 (1) (ए) देखें] 1। दावेदार का नाम: 2। जीवनसाथी का नाम 3। पिता/ माता का नाम 4। पता: 5। गाँव: 6। ग्राम पंचायत: 7। तहसील/ तालुका: 8। ज़िला: 9। (ए) अनुसूचित जनजाति: हाँ/ नहीं (प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) (b) अन्य पारंपरिक वन निवासी: हाँ/ नहीं (यदि एक पित या पत्नी एक अनुसूचित जनजाति है (प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) 10। उम्र के साथ परिवार में अन्य सदस्यों का नाम: (बच्चों और वयस्क आश्रितों सिहत)

भूमि पर दावे की प्रकृति: 1। वन भूमि पर कब्जा कर लिया ए) बस्ती के लिए बी) स्व-खेती के लिए, यदि कोई हो: (अधिनयम की धारा 3 (1) (ए) देखें) 2। विवादित भूमि यदि कोई हो: (अधिनयम की धारा 3 (1) (एफ) देखें) 3। Pattas/ पट्टे/ अनुदान, यदि कोई हो: (अधिनयम की धारा 3 (1) (जी) देखें) 4। सीटू पुनर्वास या वैकल्पिक भूमि के लिए भूमि, यदि कोई हो: (अधिनयम की धारा 3 (1) (एम) देखें) 5। भूमि मुआवजे के बिना विस्थापित भूमि: (अधिनयम की धारा 4 (8) देखें) 6। वन गांवों में भूमि की सीमा, यदि कोई हो: (अधिनयम की धारा 3 (1) (एच) देखें) 7। कोई अन्य पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हो: (अधिनयम की धारा 3 (1) (एल) देखें) 8। समर्थन में साक्ष्य: (देखें नियम 13) 9। किसी भी अन्य जानकारी:

हस्ताक्षर/ अंगूठे की छाप दावेदार की: अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 भारत सरकार आदिवासी कार्य मंत्रालय प्रपत्र - बी सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा [नियम 11 (1) (ए) और (4) देखें] 1। दावेदार का नाम:

एक। एफडीएसटी समुदाय: हाँ/ नहीं बी। OTFD समुदाय: हाँ/ नहीं 2। गाँव: 3। ग्राम पंचायत: 4। तहसील/ तालुका: 5। ज़िला:

```
सामुदायिक अधिकारों की प्रकृति का आनंद:
         1। सामुदायिक अधिकार जैसे कि nistar, यदि कोई हो:
         (अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) देखें)
         2। नाबालिग वन उपज पर अधिकार, यदि कोई हो:
         (अधिनियम की धारा 3 (1) (सी) देखें)
         3। सामुदायिक अधिकार
         एक। उपयोग या एंटाइटेलमेंट (मछली, जल निकाय), यदि कोई हो:
         बी। चराई, यदि कोई हो
         सी। खानाबदोश और देहाती के लिए पारंपरिक संसाधन पहुंच, यदि कोई हो:
         (अधिनियम की धारा 3 (1) (जी) देखें)
         4। निवास स्थान और निवास के सामुदायिक कार्यकाल
         PTGs और पूर्व-कृषि समुदायों के लिए, यदि कोई हो:
         (अधिनियम की धारा 3 (1) (ई) देखें)
         5। जैव विविधता, बौद्धिक तक पहुंचने का अधिकार
संपत्ति और पारंपरिक ज्ञान, यदि कोई हो:
         (अधिनियम की धारा 3 (1) (के) देखें)
         6। अन्य पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हो:
         (अधिनियम की धारा 3 (1) (एल) देखें)
         7। समर्थन में साक्ष्य:
         (देखें नियम 13)
         8। कोई अन्य जानकारी:
```

हस्ताक्षर/ अंगूठे की छाप दावेदार की:

## 24 सूचना - सी

## सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों के लिए दावा [अधिनियम और नियम ११ (१) और ४ (४) की धारा ३ (१) (i) देखें]

		٠,	,					
1	1	$\mathbf{T}$	ᇽ	/3T	ПТ	$\mathbf{T}$	$\sigma_{T}$	г.
-	1	•1	19.	/и	ıн	स	ч	Ι.

- 2। ग्राम पंचायत:
- 3। तहसील / तालुका:
- 4। जिला:
- 5। ग्राम सभा के सदस्यों का नाम (ओं) [की स्थिति के साथ अलग शीट के रूप में संलग्न करें अनुसूचित जनजातियों / अन्य पारंपरिक वन निवासियों ने प्रत्येक सदस्य के बगल में संकेत दिया]।

कुछ अनुसूचित जनजातियों / अन्य पारंपरिक वन निवासियों की उपस्थिति पर्याप्त है दावा करें।

हम, इस ग्राम सभा के अधूरे निवासी इस बात का समाधान करते हैं कि नीचे दिया गया क्षेत्र नीचे दिया गया है और संलग्न मानचित्र में हमारे सामुदायिक वन संसाधन शामिल हैं, जिस पर हम हैं धारा 3 (1) (i) के तहत हमारे वन अधिकारों की मान्यता का दावा करना।

[सामुदायिक वन संसाधन का एक नक्शा संलग्न करें, स्थान, स्थल दिखाते हुए गाँव की पारंपरिक या प्रथागत सीमाएँ या परिदृश्य के मौसमी उपयोग के मामले में देहाती समुदाय जिनके पास समुदाय की पारंपरिक पहुंच थी और जो उनके पास है टिकाऊ उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से रक्षा, पुनर्जीवित, संरक्षण और प्रबंधन किया गया है। कृपया यह नहीं है कि यह मौजूदा कानूनी सीमाओं के अनुरूप नहीं है।)

6। खासरा / डिब्बे नंबर (ओं), यदि कोई हो और यदि ज्ञात हो:

- 7। सीमा गांव:
  - (मैं)
  - (ii)
  - (iii)

(इसमें संसाधनों और जिम्मेदारियों को साझा करने के बारे में जानकारी भी शामिल हो सकती है अन्य गाँव।)

8। समर्थन में साक्ष्य की सूची (कृपया नियम 13 देखें)

दावेदार के हस्ताक्षर / अंगूठे की छाप:

अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 भारत सरकार आदिवासी कार्य मंत्रालय

अनुलग्नक - ii [नियम 8 (एच) देखें]

कब्जे के तहत वन भूमि के लिए शीर्षक

- 1। वन अधिकारों के धारक (ओं) का नाम (पित या पत्नी सिहत):
- 2। पिता/ माता का नाम:
- 3। आश्रितों का नाम:
- 4। पता:
- 5। गाँव/ग्राम सभा:
- 6। ग्राम पंचायत:
- 7। तहसील/ तालुका:
- 8। ज़िला:
- 9। चाहे अनुसूचित जनजाति हो या अन्य पारंपरिक वन निवासी
- 10। क्षेत्र:

कार्यवाही

11। प्रमुख द्वारा सीमाओं का विवरण

खासरा/ कम्पार्टमेंट संख्या सहित स्थल:

यह शीर्षक हेरिटेबल है, लेकिन उप खंड (4) की धारा 4 के तहत अलग -अलग या हस्तांतरणीय नहीं है

हम, अधोहस्ताक्षस, इसके लिए और सरकार की ओर से (नाम) राज्य) ...... उपरोक्त वन अधिकार की पुष्टि करने के लिए हमारे हस्ताक्षर को चिपकाएं।

प्रभागीय वन अधिकारी/ उप - जिला आदिवासी कल्याण अफ़सर संरक्षक जंगलों

जिला कलेक्टर/ डिप्टी आयुक्त

अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 भारत सरकार आदिवासी कार्य मंत्रालय अनुलग्नक - III

[नियम 8 (एच) देखें]

हंगामा वन अधिकारों का शीर्षक

1। सामुदायिक वन के धारक (ओं) का नाम सही हैं:
2। गाँव/ ग्राम सभा:
3। ग्राम पंचायत:
4। तहसील/ तालुका:
5। ज़िला:
6। अनुसूचित जनजाति/ अन्य पारंपरिक वन निवासी:
7। सामुदायिक अधिकारों की प्रकृति:
8। यदि कोई हो तो:
9। सीमाओं का विवरण प्रथागत सीमा और/या प्रमुख द्वारा खासरा/ कम्पार्टमेंट संख्या सहित स्थल: सामुदायिक वन के धारक (ओं) का नाम सही है: 1.
2
3
हम, अधोहस्ताक्षस, इसके लिए और सरकार की ओर से (नाम)
राज्य) ऊपर के शीर्षक में उल्लिखित वन अधिकार की पुष्टि करने के लिए हमारे हस्ताक्षर को चिपकाएं
सामुदायिक वन अधिकारों के धारकों का उल्लेख किया।
प्रभागीय वन अधिकारी/ उप - संरक्षक जंगलों

जिला आदिवासी कल्याण अफ़सर

जिला कलेक्टर/ डिप्टी आयुक्त

## 25ANNEXURE - IV

## सामुदायिक वन संसाधन शीर्षक

[नियम 8 (i) देखें]

	•		
1	ותו	/11111	सभा:
	1 1119/	רואי	77 TI.

- 2। ग्राम पंचायत:
- 3। तहसील / तालुका:
- 4। जिला:
- 5। अनुसूचित जनजाति / अन्य पारंपरिक वन निवासी। अनुसूचित जनजाति समुदाय / अन्य पारंपरिक वन निवासी समुदाय / दोनों
- 6। प्रथागत सीमा सहित सीमाओं का विवरण, प्रमुख स्थलों द्वारा, और द्वारा खासरा / कम्पार्टमेंट नं।

उक्त क्षेत्र के भीतर, इस समुदाय को सुरक्षा, पुनर्जीवित या संरक्षण या प्रबंधन करने का अधिकार है, और यह (नामित किया जाना) सामुदायिक वन संसाधन जो वे पारंपिरक रूप से रक्षा कर रहे हैं और अधिनियम की धारा 3 (1) (i) के अनुसार उपयोग किए जाने वाले स्थायी के लिए संरक्षण। कोई स्थिति नहीं हो रही है अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपिरक वन में उन लोगों के अलावा इस अधिकार पर लगाया गया इवेलर्स (वन राइट्स की मान्यता) अधिनियम और नियमों को फंसाया गया।

हम, अधोहस्ताक्षरी, इसके लिए, और सरकार की ओर से हमारे हस्ताक्षर की पुष्टि करने के लिए हमारे हस्ताक्षर को चिपकाते हैं सामुदायिक वन संसाधन (नाम, क्वांटम, क्षेत्र में नामित और निर्दिष्ट किया जाना है, जो भी हो उपर्युक्त ग्राम सभा / समुदाय (ies) के शीर्षक में उल्लिखित) जैसा कि शीर्षक में उल्लेख किया गया है।

प्रभागीय वन अधिकारी/ उप -संरक्षक जंगलों

जिला आदिवासी कल्याण अफ़सर

जिला कलेक्टर/ डिप्टी आयुक्त